सीताराम | रविदत्त

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
25.11.21	कार्यालय प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपील के साथ संलग्न स्थगन प्रा. पत्र पर वकील अपीलांट को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। अपील पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2072-76 में विवादित भूमि खसरा नम्बर 1647 व 1651 वाके ग्राम कायसा तहसील नीमराणा जिला अलवर में से 1/3 भाग का अपीलांट सीताराम खातेदार दर्ज है। यह कानून का सुस्थापित सिद्धान्त है कि विपक्षी को सुनकर ही आदेश पारित किया जावे। अपीलांट विवादित भूमि का रेकॉर्डेड खातेदार है। इसलिये उसे सुनकर आदेश पारित करना चाहिये, परन्तु तहत अदालत ने अपीलांट को बिना सुने अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया, जिसे न्यायोचित नहीं किया जा सकता।
	अत: अपील इसी स्टेज पर आंशिक रूप से स्वीकार कर तहत अदालत को आदेशित किया जाता है कि वो उनके वहां लम्बित प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T. एक्ट उनवान रविदत्त बनाम अजीत सिंह में उभयपक्ष को सुनकर उक्त प्रा. का निस्तारण CPC के आदेश 39 नियम 3 (क) में दी गई समयावधि 30 दिवस के अन्दर करें, तब तक तहत अदालत का आदेश दि० 28.10.2021 स्थगित किया जाता है। अपीलांट वास्ते सुनवाई तहत अदालत में नियत दिनांक को उपस्थित हो।
	आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।
	25/11/2021
	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर